

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 326] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15, 1977/अश्विन 23, 1899

No. 326] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15, 1977/ASVINA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 15th October 1977

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Table annexed hereto, when imported into India, from payment of the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the conditions that—

- (i) the manufacture of such aircrafts including helicopters is against an indent from the Ministry of Defence and the aircrafts including helicopters so manufactured are appropriated by that Ministry;
- (ii) the importer—
 - (a) undertakes to store such imported goods separately and account for the same to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs; and

- (b) agrees to pay the duty of customs in full on all wastages arising out of the manufacture as if the said wastages were imported in that form;
- (iii) the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand in respect of such quantity of the goods mentioned in the said Table as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the afore-said manner an amount equal to the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein.

TABLE

- (i) Coils, Strips, Sheets, Rods, Bars, Extrusions, Wires, Tubes of ferrous and non-ferrous metals and alloys and non-metallic materials such as perspex, plexi glass, glass fibre, rubber and plastics conforming to aircraft or aerospace specifications
- (ii) Castings, stampings and forgings of ferrous and non-ferrous alloys conforming to aircraft or aerospace specifications.

[No. 211/F. No. 355/80/77-Cus I]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं]

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1977

सा० का० नि० 644(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाय सारणी में विनिर्दिष्ट मालों को, जब भारत में उनका आयात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क के संदाय से निम्नलिखित शर्तों पर छूट देती है, अर्थात् :—

- (i) ऐसे वायुयानों, जिसमें हेलीकोप्टर भी हैं, का विनिर्माण रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता (इडेंट) पर किया जाता है और इस प्रकार विनिर्मित वायुयानों का, जिनमें हेलीकोप्टर भी है, उपयोग उक्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है ;

(ii) आयातकर्ता—

- (क) इस प्रकार आयातित माल का पृथक् रूप से भंडारकरण करने के लिये और सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप से उनका हिसाब देने के लिए वचनबद्ध होता है ; और
- (ख) विनिर्माण से प्राप्त होने वाली सभी रद्दियों पर पूरा सीमाशुल्क सहाय करने के लिए करार करता है मानो उक्त रद्दी उसी रूप में आयात की गई हो ;

- (iii) आयातकर्ता ऐसे प्ररूप में और उतनी रकम के बक्षपत्र का निष्पादन करके, जो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विहित की जाए, स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट माल की उस मात्रा की बाबत जिसके बारे में सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधावप्रद रूप से यह साबित नहीं किया जाता कि उसका उपयोग उपर्युक्त रीति से किया गया है, माग किए जाने पर उतने उद्ग्रहणीय शुल्क के समतुल्य रकम का संदाय करेगा जो इस आदेश द्वारा दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उद्ग्रहणीय होती।

सारणी

- (i) फेरस और गैर फेरस धातुओं और मिश्र धातुओं की कुंडलियां, पट्टियां, चादरें, रौड, शलाकाएं, उत्सारक (एक्सट्रूजन्स) तथा गैर धात्विक सामग्रियां जैसे पर्सपैक्स, पलेक्सी ग्लास, ग्लास फाइबर, रबड़ और प्लास्टिक जो वायुयान या वायु आकाश के विनिर्देशों के अनुरूप हों।
- (ii) फेरस और गैर फेरस मिश्र धातुओं की कास्टिंगें, स्टेपिंग और फोरजिंगें जो वायुयान या वायु आकाश के विनिर्देशों के अनुरूप हों।

[सं० 211, फा० सं० 355/80, 76—सीमा-शुल्क—1]

G.S.R. 645(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977, (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 123-Customs dated the 1st July, 1977, namely:—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 160 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“161 No. 211-Customs, dated the 15th October, 1977”.

[No. 212/F. No. 355/80/76-Cus. I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.

सा० का० नि० 645(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग

विधम की अधिसूचना सं० 123-सीमा शुल्क, तारीख 1 जुलाई 1977 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में माल सं० 160 और उससे संबंधित प्रविष्टियों
के अन्तर्गत निम्नलिखित अन्तःस्थगित किया जाएगा, अर्थात् :—

“161. सं० 211—सीमा शुल्क, तारीख 15 अक्टूबर, 1977”।

[सं० 212/फा० सं० 355/80/76—सीमा-शुल्क-1]

एम० अयरामन, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निबन्धक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977